उपायुक्त का कार्यालय, सिमडेगा।

(विकास शाखा)

–: निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 04/15–16 :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधायक मद योजना अन्तर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बानों के विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकालय एवं छात्र–छात्राओं के ज्ञानोपार्जन एवं उनके बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकों को क्रय/आपूर्ति हेतु प्रतिशिठत प्रकाशकों से मुहरबन्द तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता संबंधित पुस्तकों की सूची की प्रति किसी भी कार्य दिवस में आवेदन देकर उपायुक्त का कार्यालय, सिमडेगा, जिला विकास शाखा से अपने निजि खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं।

<u>निविदा हेतु शर्तें निम्न प्रकार है :–</u>

01. निविदादाता तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में देना सुनिश्चित करेंगें।
02. तकनीकी बीड हेतु निविदा के साथ 50,000.00(पचास हजार) रू0 का किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट् (लौटाने योग्य), जो उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के पदनाम से भुगतेय होगा संलग्न किया जाना है।
03. फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं गुणवत्ता हेतु ISO प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
04. फर्म का वैध पैन नम्बर धारक होना एवं विगत तीन वर्शों का आयकर विवरणी/स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
05. फर्म का पिछले तीन वर्शों का Profit and Loss और Balance sheet C.A. द्वारा अनुमोदित करवाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
06. फर्म का पुस्तक प्रकाशन/वितरण में न्युनतम 5 वर्शों का अनुभव अनिवार्य होगा।
07. प्रकाशक को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
08. सभी पुस्तकों पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त ISBN होना अनिवार्य है।
09. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
10. सरकारी विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति संबंधी अनुभव यदि हो तो।
11. सूची में शामिल कम से कम 50 पुस्तकों का सैंपल जमा करना अनिवार्य होगा।
12. वित्तीय बीड में निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सभी पुस्तकों पर एकमुस्त छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगें।
13. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा(बीड) खोला जाएगा।
14. पुस्तकों की आपूर्ति स्वयं के खर्च पर संबंधित विद्यालयों में करनी होगी, अलग से कोई राशि(परिवहन, हथालन) देय नहीं होगा।
15. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों हेतु किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. अपूर्तिकर्ता को पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात प्रस्तुत विपत्र पर जाचोंपरान्त नियमानुयार कर कटौती के पश्चात राशि का भुगतान किया जाएगा।
17. किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताये स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
18. किसी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र सिमडेगा ही होगा।

उपरोक्त शर्तों/निहित निर्देशों के अनुसार निविदादाताओं के द्वारा दिनांक ..../02/2016 को 01:00 बजे अपराहन तक उपायुक्त का कार्यालय, विकास शाखा में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर उपायुक्त का कार्यालय, सिमडेगा, विकास शाखा में निविदा जमा किया जाएगा, जिसे उसी दिन अपराहन् 04:00 बजे समाहरणाल के सभाकक्ष में निविदा समिति के द्वारा निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निश्चित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा

ज्ञापांक–......................../वि0 दिनांक–................................

प्रतिलिपि :–जिला आसूचना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं Soft Copy एवं Hard Copy के साथ जिला की वेबसाईट एवं www.tenders.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि :–जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं निविदा आमंत्रण सूचना की Soft Copy एवं Hard Copy के साथ दैनिक समाचार पत्रों में प्रका" ान हेतु प्रेशित।

उपायुक्त,
सिमडेगा